1	विभाग–	श्रम विभाग
2	योजना का नाम –	**निर्माण कामगार पुत्री विवाह अनुदान योजना**
3	योजना संक्षिप्त टिप्पणी–	• पंजीकृत निर्माण श्रमिक को समस्त अर्हताओं की पूर्ति की स्थिति में उसकी पुत्री के विवाह हेतु रू 55000, की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी तथा अंतर्जातीय विवाह हेतु रू 61000 की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी। सामूहिक विवाह की स्थिति में न्यूनतम 11 जोड़ों के विवाह एक साथ एक स्थल पर आयोजित होने की दशा में रू 5000 प्रति जोड़े की दर से होने वाले व्यय का भुगतान बोर्ड के द्वारा किया जायेगा। • यह सहायता निर्माण श्रमिक के कुल 2 बालिकाओं तक ही अनुमन्य होगी। • पंजीकृत महिला श्रमिकों के स्वयं के विवाह की दशा में भी उपरोक्तानुसार हितलाभ की धनराशि इस शर्त के साथ देय होगी कि उसके पिता द्वारा इस मद में धनराशि प्राप्त न की गई हो। • पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के पुनर्विवाह की स्थिति मे हितलाभ देय नहीं होगा। • यदि किसी पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक की अपनी कोई संतान नहीं है और उसने किसी कन्या को विधिवत गोद लिया हो, तो ऐसी स्थिति में गोद ली गई कन्या को भी उपरोक्त अन्य अर्हताओं के पूर्ण होने की स्थिति में केवल एक गोद ली गई कन्या तक ही इस योजना अंतर्गत लाभ अनुमन्य हो सकेगा। • जहॉ पर माता एवं पिता दोनों ही पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं, तो दोनों में से किसी एक को ही यह सहायता सुलभ हो सकेगी। • आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु यह आवश्यक होगा कि ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक को पुत्री के विवाह हेतु भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार से संचालित किसी अन्य योजना में यदि इस प्रयोजन हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है, तो इस योजना के अंतर्गत हितलाभ अनुमन्य नहीं होगा।
4	पात्रता की अर्हता–	• इस योजना अंतर्गत वे सभी महिला एवं पुरूष पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होंगे जो उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अद्यतन विधिवत पंजीकृत सदस्य हैं। • साथ ही ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री की उम्र कम से कम 18 वर्ष तथा वर की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। • इस योजना अंतर्गत लाभ के लिए ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक का कम से कम 03 वर्ष तक सदस्य होना अनिवार्य है, और उसके द्वारा पंजीयन के उपरांत अग्रेत्तर 03 वर्ष तक नियमित रूप से अंशदान जमा किया गया हो।
5	आवेदन की प्रक्रिया–	आवश्यक अभिलेखों सहित स्थानीय श्रम कार्यालय में निःशुल्क आवेदन
6	लिंक वेबसाईट	http://upbocw.in/
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के उप श्रमायुक्त से सम्पर्क किया जा सकता है।